शामिल हैं पर नियुक्ति क्लर्क ग्रेड परीक्षा के आधार पर की जाती है। परन्तु इन पदों पर तदर्थ नियुक्तियां कभी कभी की जाती हैं जब योग्यता प्राप्त उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होते हैं। ऐसी तदर्थ नियुक्तियों को नियमित तभी किया जाता है जब वे निर्धारित परीक्षा योग्यता प्राप्त कर लेते हैं।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आशुलिपिक परीक्षा

4147. श्री जैनुल बशर : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 1980 में आयोजित की गई आशुलिपिक परीक्षा में कुल कितने उम्मीदवार बैठे थे ;

(ख) इनमें कितने उम्मीदवारों ने लिखित परीक्षा हिन्दी माध्यम से दी ;

(ग) हिन्दी अथवा अंग्रेजी माध्यम से लिखित परीक्षा देने वाले उम्मीदवारों में से पृथक-पृथक कितने उम्मीदवार सफल हुए और उन्होंने कितने प्रतिशत अंक प्राप्त किये ;

(घ) हिन्दी तथा अंग्रेजी आशुलिपिक परीक्षा में पृथक-पृथक कितने उम्मीदवार सफल हुए ; और

(ङ) उपरोक्त परीक्षा के आधार पर कुल कितने पद भरे जायेंगे ?

गृह मंत्रालय तथा संसदीय कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री पी० वेंकटसुब्बय्या) : (क) 573।

(ख) 797 ।

(ग)

	माध्यम	सफल उम्मीदवारों की संख्या	प्राप्त अंकों की अधिकतम प्रतिशता
	हिन्दी	36	69 प्रतिशत
	अंग्रेजी	774	82 प्रतिशत
(घ)	हिन्दी	30	
	अंग्रेजी	603	

(ङ) 103

Pension to Freedom Fighters

4148. SHRI HARINATH MISHRA: SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the number of freedom fighters, Statewise, who are getting a monthly pension of Rs. 300 or above, upto Rs. 500;

(b) the number of applications from freedom fighters for grant of pension pending with the Home Ministry and the time likely to be taken in disposing of these applications;

(c) whether medical aid to freedom fighters continues to be the responsibility of the State Governments and the quality of such aid vary from State to State;

(d) if so, what is the position, Statewise; and

(e) whether there is any proposal to extend medical aid to freedom fighters on a uniform basis; if so, what and if not, why not?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI YOGENDRA MAKWANA): (a) The number of freedom fighters and their dependents who have been granted pension under the Pension Scheme is 1,19,310. The number includes self freedom fighters getting pension @ Rs. 300/- p. m. and their eligible dependents if they are no more alive, whose monthly quantum of pension ranges from Rs. 200/- to Rs. 300/- depending upon the size of the family. A Statewise statement

(Annexure I) in this respect has been laid on Table of the House [*Placed in Library. See* No. LT-2144/81]. The number of freedom fighters who are getting higher pension upto Rs. 500/- p.m. is 27. A Statewise Statement has been attached (Annexure. II) laid on [*Placed in Librar.. See* No. LT-*Library See* No. LT-2144/81].

(b) No application for the grant of pension under the Swatantrata Sainiks Samman Pension Scheme formerly known as Freedom Fighters Pension Scheme, 1972 is pending initial scrutiny. However 37.793 cases have been filed for want of documentary evidence from the freedom fighters and/or reports from the State Government/Union Territory Administrations. A decision in all such cases will be taken as soon as the requisite information from the individual or from the State Government is received.

(c) Yes, Sir.

(d) Statement attached (Annexure. III) laid on the table of the House. Placed in Library. *See* No. LT—2144/81].

(e) Providing medical aid being the responsibility of the State Governments. No such proposal is under consideration at present.

डिपार्टमेंटल कैन्टीन स्टोर्स

4149. **श्री मूल चन्द डागा :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां डिपार्टमेंटल कैन्टीन स्टोर्स चल रहे हैं और उनमें कितना पैसा लगा हुआ है;

(ख) क्या यह सच है कि इन विभागीय कैन्टीनों में सामान्य लोगों को सामान खरीदने की अनुमति नहीं है और केवल भूतपूर्व सैनिकों तथा सैनिकों को ही इसकी अनुमति है; यदि हां तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) क्या उक्त विभागीय कैन्टीन "न लाभ न हानि" आधार पर चलाई जाती हैं; यदि नहीं, तो वर्ष 1979-80 दौरान इन पर सरकार को कितना लाभ अथवा हानि हुई?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी. पाटिल): (क) रक्षा मंत्रालय के कैन्टीन स्टोर्स डिपार्टमेंट की कैन्टीनें मुख्यतया यूनिटों, सशस्त्र सेना के फार्मेशन मुख्यालयों और सेना द्वारा सीधे संचालित परासैनिक दलों, सम्मिलित प्रादेशिक सेना यूनिटों, तट रक्षक यूनिटों, राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशालय, उसके मुख्यालयों और ग्रुप मुख्यालयों में खुली हुई हैं। जिन स्थानों में यूनिट कैन्टीनें चलाई जा रही हैं उनके नामों से संबंधित सूचना वर्गीकृत होने के कारण राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में उसे प्रकट नहीं किया जा सकता।

1980-81 के बजट अनुमान में स्टोर खरीद के लिए 111 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।

(ख) कैन्टीन स्टोर डिपार्टमेंट की कैन्टीनों से सामान्य नागरिकों को सामान खरीदने की अनुमति नहीं है क्योंकि ये मुख्यतया यूनिटों और सशस्त्र सेना की फार्मेशनों/रक्षा स्थापनाओं में स्थापित की गई हैं और इन्हें खासकर सशस्त्र सेनाओं के कल्याण के लिए चलाया जाता है। दूसरे ये परचून स्टोर या दूकानें नहीं हैं। इन कैन्टीनों से सामान खरीदने की सुविधा केवल प्राधिकृत वर्ग के कार्मिकों को ही दी गई है क्योंकि इन कैंटीनों के माध्यम से सेवारत और भूतपूर्व सैनिकों को बेचे जाने वाले माल पर विशिष्ट बिक्री-कर छूट और कल्याणकारी उपाय के रूप में भारतीय संघ के लगभग सभी राज्यों द्वारा शराब पर दी गई उत्पाद शुल्क: रियायतें लागू होती हैं।

(ग) इन कैन्टीनों को मुख्यतया एक कल्याणकारी उपाय के रूप में चलाया गया है। फिर भी इनको अपना कारोबार चलाने में आर्थिक दृष्टि से सक्षम बनाने के लिए हर साल थोड़ा सा लाभ कमाने की अनुमति होती है। 1979-80 में इस